मध्यप्रदेश शासन
जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004
// आदेश//

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2026

एफ–1 /3/0001/2026 –Sec–1–24(PRE)(4) :– राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.07.2026 की अनुंशसा के क्रम में निम्नलिखित सहायक जनसंपर्क अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से सहायक संचालक जनसंपर्क {सातवां वेतनमान 56100–177500 (लेवल–12)} के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र	शासकीय सेवक का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान
1	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल
2	श्री संदीप कपूर	जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल
3	श्री महिपाल अजय	संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, इंदौर
4	श्री बृजेन्द्र कुमार शर्मा	जिला जनसंपर्क कार्यालय, खंडवा
5	श्री उमेश चंद्र तिवारी	संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, रीवा।
6	श्री गजेन्द्र कुमार द्विवेदी	संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, शहडोल।
7	श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी	जिला जनसंपसर्क कार्यालय, हरदा
8	श्री जगदीश चंद्र मालवीय	जिला जनसंपर्क कार्यालय आगर-मालवा।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक–21 सन 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा किये गए अनुदेशों का का अनुपालन किया गया है, तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा–6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

3/ उपरोक्त पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अध्याधीन होगीं।

4/ पदोन्नत किए गए समस्त शासकीय सेवक वर्तमान में जिस विभाग / कार्यालय में पदस्थ है। उसी विभाग/ कार्यालय में उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नत लोक सेवक को अपने निम्न पद के कार्यभार से उच्च पद का कार्यभार गृहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से भारमुक्त किया जाता है। नवीन पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेंगें।

5 / पदोन्नत शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम 13 के अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Kelash 15.7.26

(डॉ. कैलाश बुन्देला)
उप सचिव,
म0प्र0 शासन, जनसंपर्क विभाग

पृ0क्रमांक/ एफ-1 /3/0001/2026 -Sec-1-24(PRE)(4) भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि : -

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
7. संभागीय आयुक्त, संभाग,नर्मदापुरम/ भोपाल/ ग्वालियर / जबलपुर/ सागर/इंदौर।
8. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. कलेक्टर, भोपाल/सागर/नर्मदापुरम/ ग्वालियर/छतरपुर/ जबलपुर/ इंदौर/दमोह/सीहोर/छिंदवाड़ा/सिवनी।
10. वरिष्ठ कोषलय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल।
11. कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल/सागर/नर्मदापुरम/ ग्वालियर/छतरपुर/ जबलपुर/ इंदौर/दमोह/सीहोर/छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी अधिकारी संबंधित संभागीय/ जिला जनसंपर्क कार्यालय मध्यप्रदेश ।
13. संबंधित अधिकारी श्री/सुश्री.......................................।
14. स्टॉक फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव,
म0प्र0 शासन, जनसंपर्क विभाग